सत्र वाद सं0–95 / 2022
UPMB010004482022
सरकार बनाम दिनेश पाल उर्फ मुकेश आदि
मु0अ0सं0–511 / 2021

UPMB010004482022

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–01, महोबा।

पीठासीन अधिकारी– राजीव कुमार पालीवाल (एच0जे0एस0)

———————————————————

सत्र वाद सं0–95 / 2022
CNR No.-UPMB010004482022
मु0अ0सं0–511 / 2021

———————————————————

सरकार बनाम दिनेश पाल उर्फ मुकेश आदि

———————————————————

16.12.2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण वास्ते आदेश हेतु नियत है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 29क पर सुना जा चुका है।

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र 29क इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि इस वाद में फरियादी / वादी ने अभियुक्तगण दिनेश पाल, रामेश्वर, श्रीमती शांति, दीवानदीन, श्रीमती सुनीता व रमेश के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक–10.12.2021 को दर्ज करायी थी कि अभियुक्तगण ने फरियादी / वादी की पुत्री प्रयंका को गला दबाकर मार दिया था।

विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी ने अभियुक्त रमेश पुत्र किशोरा निवासी सिचहरी थाना गौरीहार जिला छतरपुर म0प्र0 के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद उसके विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। वादी / फरियादी ने धारा–161 दं0प्र0सं0 के बयान में भी रमेश का नाम लिया है। उक्त कारण से रमेश को विचारण हेतु तलब किया जाना आवश्यक है। वादी मुकदमा ने न्यायालय में सशपथ बयान में भी रमेश मामा के अपराध में संलिप्त होने के सम्बन्ध में कथन किए हैं।

अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त आधार पर रमेश को धारा–319 दं0प्र0सं0 के प्राविधान के अनुसार विचारण हेतु तलब किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना की गयी है।

न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पत्रावली एवं विधि के प्राविधानों का सम्यक रूपेण परिशीलन किया गया।

विधि के प्राविधान के अनुसार विचार करें तो धारा–319(1) दं0प्र0सं0 के प्राविधान के

अनुसार–

जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है, जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहां न्यायालय उस व्यक्ति के विरूद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, कार्यवाही कर सकता है।

इस प्रकार उक्त विधिक प्रावधान से बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि अपराध की जांच या विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए साक्ष्य के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि किसी अपराध को कारित किये जाने के सम्बंध में अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की भी भूमिका रही है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उन अन्य व्यक्तियों को भी समुचित प्रतीत होने वाले अपराध के विचारण हेतु आहूत कर सकती है।

धारा 319 दं0प्र0सं के प्रावधान का पालन न्यायालय को सम्यक् सतर्कता के साथ तथा प्रकरण के तथ्यों की सूक्ष्मता से जांच किये जाने के उपरांत किया जाना चाहिये और किसी व्यक्ति को विचारण हेतु तभी तलब किया जाना चाहिये जबकि साक्ष्य ऐसी प्रकृति का हो, जिसका यदि खंडन न हो तो वह साक्ष्य इप्सित व्यक्ति की दोषसिद्धि को युक्तियुक्त रूप से अग्रसर कर सके।

उपरोक्त आशय का न्यायदृष्टांत **प्रमोद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2012 (76) ए0सी0सी0 43** के वाद में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच द्वारा प्रतिपादित किया गया है। उक्त वाद में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि धारा 319 दं0प्र0सं0 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग कभी–कभी एवं असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये।

सरबजीत सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य 2009 (3) जे.आई.सी 522 (एस.सी) के महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत में इस आशय का न्याय सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित आरोप, जिसकी पुनरावृत्ति अभियोजन साक्षी ने साक्ष्य में की हो, तब भी न्यायालय को सतर्कता के साथ धारा 319 दं0प्र0सं0 का प्रयोग करना चाहिये। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त न्याय दृष्टांत में यह न्याय सिद्वांत भी प्रतिपादित किया है कि यदि प्रस्तुत साक्ष्य अखंडनीय रहने पर अभियुक्त की दोषसिद्वि के लिये युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त हो, तभी अन्तर्गत धारा 319 दंप्रसं किसी व्यक्ति को तलब किया जा सकता है।

हरदीप सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब 2013 (85) ए.सी.सी. 313 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत प्रतिपादित हुआ है कि आरोपपत्र प्रस्तुत होने के उपरांत

से निर्णय घोषित किये जाने के पूर्व तक धारा 319 (1) दं0प्र0सं0 का प्रयोग किसी व्यक्ति को अपराध के विचारण हेतु तलब किये जाने के सम्बंध में किया जा सकता है परन्तु मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अन्तर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 न्यायालय को प्रदत्त शक्ति विवेकाधीन तथा विस्तृत है परन्तु इसका प्रयोग उन्हीं प्रकरणों में होना चाहिए जिन प्रकरणों में इसका प्रयोग किया जाना न्यायसंगत हो।

उपरोक्त न्यायदृष्टांतो से स्पष्ट है कि धारा 319 दं0प्र0सं0 का प्रयोग करते समय न्यायालय को वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियो तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित न्यायदृष्टांतो के सम्बंध में सूक्ष्मता से विचार करते हुए किसी व्यक्ति को विचारण हेतु तलब करना चाहिये।

सागर बनाम उ0प्र0 राज्य 2022 लाईव लॉ, (एस0सी0) 265 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरदीप सिंह मामले में प्रतिपादित न्याय दृष्टांत के आधार पर ही इस आशय का न्याय दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है कि संहिता की धारा–319 के तहत प्रदत्त शक्ति एक विवेकाधीन और असाधारण शक्ति है जिसका प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। धारा–319 दं0प्र0सं0 का प्रयोग उन परीक्षणों पर लागू होता है कि जहां मामला पृथम दृष्ट्या मामले से अधिक हो और न्यायालय की इस हद तक संतुष्टि हो जाये कि सबूत यदि अखण्डित रह जाता है तो दोषसिद्धि हो जायेगी।

उक्त आशय के ही मत **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या–990/2021 रमेश चन्द्र श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य, क्रिमिनल अपील संख्या–509/2019 सुग्रीव कुमार बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य** के मामले में भी प्रतिपादित किये गये हैं।

रामेश्वर व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 2022 लाईव लॉ (इलाहाबाद) 289, आपराधिक पुर्नविचार याचिका संख्या–2173/2022 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा न्याय दृष्टांत प्रतिपादित हुआ है कि दं0प्र0सं0 की धारा–319 लागू करने का उद्देश्य किसी ऐसे व्यक्ति के विचारण से बच निकलने से रोकना है जो विचारण में वांछित है।

दिलीप सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1989 सीआर.एल.जे. 600 (राजस्थान उच्च न्यायालय) के महत्वपूर्ण न्यायदृष्टांत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की फुलबेंच ने इस आशय का न्यायिक सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि, धारा 319 दं0प्र0सं0 में प्रयुक्त शब्द ''साक्ष्य'' का संकुचित अर्थ न दिया जाकर सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिये। शब्द ''साक्ष्य'' को न्यायालय द्वारा केस की ''जांच'' या ''विचारण'' के दौरान अभिलिखित साक्ष्य तक परिसीमित

नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके अधीन पुलिस द्वारा अभिलिखित बयान या आरोपपत्र के साथ फाइल दस्तावेज भी आते हैं।

उपरोक्त न्यायदृष्टांतों से यह मार्गदर्शन मिलता है कि अन्तर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का निराकरण करते समय शब्द ''साक्ष्य'' का विस्तृत अर्थ में न्यायालय द्वारा विचार करना चाहिये तथा आरोपपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर भी न्यायालय को सूक्ष्म रूप से विचार करना चाहिए।

विधि के प्राविधान एवं उल्लिखित न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में इस प्रकरण के सम्बन्ध में विचार करें तो केस डायरी के पर्चा नं0–12 व 14 के सम्यक रूपेण परिशीलन से यह तथ्य दर्शित होता है कि विवेचक द्वारा स्वतंत्र साक्षियों के बयान के आधार पर इस प्रकरण में रमेश पाल की अपराध में संलिप्तता नहीं पायी है।

यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्य अभियुक्तगण के साथ रमेश मामा के विरूद्ध भी दर्ज करायी गयी है। साक्षी पी0डब्लू0–1 फरियादी श्रीपाल ने अपनी साक्ष्य में भी अपराध कारित करने वालों के सम्बन्ध में रमेश मामा के नाम का उल्लेख किया है, परन्तु अभियोजन प्रपत्रों से या साक्षी पी0डब्लू0–1 फरियादी श्रीपाल की साक्ष्य से न तो रमेश मामा की अपराध कारित किये जाने के सम्बंध में विशिष्ट भूमिका दर्शित होती है और न ही यह तथ्य दर्शित होता है कि दहेज की मांग के आधार पर रमेश मामा किस प्रकार से कोई लाभ प्राप्त करता। रमेश मामा शेष अभियुक्तगण के साथ ही निवास करता हो, इस प्रकार का भी कोई तथ्य फरियादी पी0डब्लू0–1 श्रीपाल की साक्ष्य व अभियोजन प्रपत्रों तथा केस डायरी के सम्यक रूपेण परिशीलन से दर्शित नहीं होता है। उक्त स्थिति में न्यायालय के मत में इस प्रकरण में रमेश मामा को विचारण हेतु तलब किये जाने के पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होते हैं। तद्नुसार न्यायालय के मत में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 29क निरस्त होने योग्य है।

आदेश

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 29क अन्तर्गत धारा–319 दं0प्र0सं0 निष्कर्षानुसार निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक–04.01.2023 को प्रस्तुत हो।

दिनांक–16.12.2022

(राजीव कुमार पालीवाल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1

J.O No.U.P-6305

Digitally signed by Rajeev Kumar Paliwal
Date: 2022.12.16 12:51:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court